

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
 क्रमांक/एफ-5/1251/E-file 0328/2025/ दिनांक- ई साइन
 प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
 नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
 क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
 लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/156164/2022)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एपीआर 026/2023-बीएचओ/ दिनांक 04.09.2024

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

A- Conditions which need to be complied prior to handling over of forest land by the State Forest Department

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रुपये 5839399/- गैर वनभूमि एवं दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में तैयार योजना की राशि रुपये 38435097/- ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/155479/2022 कैम्पा मद में दिनांक 15.03.2024 से एकजाई रूप से 04 प्रकरणों की जमा की जा चुकी है, जिसमें यह प्रकरण भी सम्मिलित है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण कराया जा चुका है। पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि 82.00 हेक्टेयर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 में अधिसूचित कराने की कार्यवाही प्रचलित है। अधिसूचित होने पर पृथक से प्रेषित की जावेगी।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 15590807/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 से जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू, मार्ग के किनारे- किनारे रोपण की राशि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की समस्त राशियां कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 एवं 15.03.2024 से जमा कराई जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, बालाघाट का प्रमाण पत्र क्रमांक/2188 दिनांक 08.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड है।
- 7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र दिनांक 13.01.2025 में अधिरोपित शर्तों के पालन में 2 प्रतिशत प्रोजेक्ट कॉस्ट की राशि रु. 2813220/- मध्यप्रदेश टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी के खाते में दिनांक 11.04.2025 से जमा की जा चुकी है।
- 8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि रु. 8814823/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा किया जा चुका है, रोड साइड प्लांटेशन स्कीम संलग्न है।

- 9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड किया गया है।
- 10- शर्त क्रमांक (10) के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की KML file e-green watch पोर्टल में ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/155479/2022 में अपलोड किया गया है, जिसका ID no. 53732 है।
- 11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 12- शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

B- Conditions which neet to be strictly complied on field after handling over of forest land to the User Agency by the Stae Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन मण्डल अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में Additional NPV का वचनपत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) एवं (5) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 5- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा आवगत कराया है कि रोड सिंगल होने के कारण किनारे-किनारे वृक्ष लगे हुए हैं। रोड साइड प्लांटेशन की राशि आवेदक संस्थान से जमा कराई जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (7) से (16) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 05-06-2025
18:24:57

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
 - 2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
 - 3- महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar
Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-एमपीआर 026/2023-बीएचओ/

दिनांक : 04/09/2024.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.69 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/Road/156164/2022).

Sir,

This refers to letter Nos. F-5/1251/2023/10-11/2071 dated 19/05/2023, 4467 dated 06/10/2023, 1695 dated 20/03/24 and 3359 dated 26/06/24 of PCCF/ APCCF (LM), Nodal Officer, Govt. of Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government and on the decision of Regional Empowered Committee in its 8th meeting of 2024 on 30/07/2024, the "in-principle" approval of the Central Government, is hereby conveyed for diversion of 12.690 ha Reserved & Protected forest land for construction of Sitapala Tattikala to Kosamdehi Road under RCPLWEA Scheme in favour of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority in Balaghat District of Madhya Pradesh, subject to following conditions and stipulations:

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department

- (1) Cost of compensatory afforestation on the 25.38 ha (out of 82.00 ha) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.
- (2) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.
- (3) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. A Copy of PF/RF notification may be submitted in Stage-I compliance report.
- (4) The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the 12.69 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide

letter Nos. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.

- (5) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- (6) Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- (7) *The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.*
- (8) *a) The User agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the User Agency.*
b) Cost of the same shall be transferred to CAMPA fund via online/ e.portal.
- (9) *The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.*
- (10) The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e.Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.
- (11) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.
- (12) The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval

- (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **25.38 ha Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 25/1 8/1, Village - Gummur, Tehsil - Birsa, District - Balaghat** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.
- (3) Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- (4) The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated **513 numbers/minimum** number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and the State Forest Department shall undertake the fellings.
- (5) Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.
- (6) *Strip plantation shall be raised on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.*
- (7) *Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.*
- (8) Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.

- (9) No labour camp shall be established on the forest land.
- (10) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.
- (11) No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- (12) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.
- (13) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- (14) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.
- (15) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.
- (16) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the compliance report regarding fulfillment of the conditions as stipulated above, from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of competent authority.

(डॉ. योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी(वानिकी)

प्रतिलिपि:

1. वन महानिरीक्षक(एफसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दक्षिण बालाघाट, जिला-बालाघाट, मध्यप्रदेश ।
5. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बालाघाट, मध्यप्रदेश ।
6. आदेश पत्रावली ।

(डॉ. योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी(वानिकी)

Signed by Yogesh Gairola
Date: 04-09-2024 10:06:46

पत्र क्र. 1246 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2025
प्रति,

बालाघाट दिनांक 14/05/2025

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण / ~~वनमंडल~~ वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट की वन भूमि 12.69 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156164/2022 एवं WL/MP/ROAD/468597/2024)
संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1251 / 2023 / 10-11 / 4842 भोपाल दिनांक 12.09.2024
2. वन मंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट का पत्र क्र. तकनीकी / 2329 बालाघाट दिनांक 02.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही मार्ग निर्माण हेतु 12.69 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर बैंक द्वारा जारी UTR No. की प्रति एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 12 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 16) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्थ (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही मार्ग निर्माण हेतु 12.69 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार



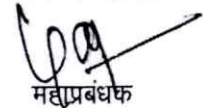
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 14/05/2025

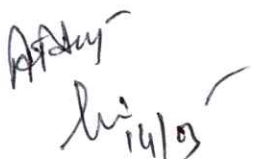
पत्र क्र. 1247 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2025

प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी उपवनमंडल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।



म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट



General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Sitepala Tatikala to Koshamdehi

Proposal No. - FP/MP/Road/156164/2022

12.69 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	Cost of compensatory afforestation on the 25.38 ha (Out of 82.00 ha) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत 04 प्रकरण हेतु 40.59 हेक्टेयर की राशि रु. 58,39,399 एवं वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रुपये 3,84,35,097/- ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/155479/2022 में दिनांक 15.03.2024 को ऑनलाईन कैंपा मद में जमा करा दी गई है। (संलग्न)
2	The Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in favour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण करा दी गई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश क्र. रा.प.क्र./0033/अ-59/वर्ष 2022-23 ग्राम घुम्पुर, प.ह.नं. 63 द्वारा दिनांक 12.12.2022 को वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। (खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।)
3	The Chhote Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, A Copy of PF/RF notification may be submitted with Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 12.69 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन में NPV की राशि रु. 1,55,90,807.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रु. 88,14,823.00 कुल राशि रु. 2,44,05,630.00 ऑनलाईन कैंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न - चालान की प्रति)


म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्रि.कियान्वयन कार्ड क्र. 1 बालाघाट

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the coconed District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
7	The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8 a)	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	शर्त के पालन में NPV की राशि रु. 1,55,90,807.00 एवं रोड साइड प्लांटेशन की राशि रु. 88,14,823.00 कुल राशि रु. 2,44,05,630.00 ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न - चालान की प्रति)
8 b)	Cost of the same shall be transferred in CAMPA fund via online/e-portal.	ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा की गई है।
9	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है।)
10	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
अ.प्र.क्रियान्वयन संकाई कं. 1 बालाघाट

2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 25.38 ha Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 25/1 क /1, Village Gummur, Tehsil- Birsa, District- Balaghat at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non- native species shall be avoided.	राशि वनमंडल को चालान द्वारा केम्पा मद में जमा की गई है। शेष वनमंडल से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
4	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated 513 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	Strip plantation shall be raised on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे-किनारे वृक्ष लगे हुए हैं। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है। रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
7	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

महसुल अधिकारी

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन संकाई क्र. 1 बालाघाट

11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


 General Manager
 M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

14
15
16
17

REPORT-ID: IF0000
BRANCH: 03312
MAKER: 0054874

TRAN DATE: 17042025

SENDER IFSC: CBIN0283312
CHECKER: 0054874

CENTRAL BANK OF INDIA
N E F T - T R I C K L E F E E D T R A N S A C T I O N S

SENDER-AC-NO SERVICE TAX RESPONSE	AMOUNT	BENEFICIARY-AC-NO	BENEFICIARY-NAME	SENDER-NAME	RECEIVER-IFSC	COMMISSION
3041271029	24405630.00	1507661156164636	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840555						
3041271029	30517100.00	1507661155629680	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840655						
3041271029	12831373.00	1507661155398174	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840755						
3041271029	19832304.00	1507661155493725	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840855						

TOTAL NO. OF TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

SUCCESSFUL TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00



कार्यालय महाप्रबंधक
1. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट
फोननं. - 07632- 240334, E-mail - gm_bgtpiul@rediffmail.com

पत्र क्रमांक / लेखा./2025 958
प्रति,

बालाघाट दिनांक 11/03/2025

शाखा प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा-बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- Ad-HOC CAMPA मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत Ad-HOC CAMPA के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु बैंक क्रमांक 162082 दिनांक 11.04.25 राशि रु. 8,75,86,407.00 (आठ करोड़ पछहत्तर लाख छियासी हजार चार सौ सात मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त बैंक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No. छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

N	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155629680	3,05,17,100	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru- 560027
2			1507661155398174	1,28,31,373	
3			1507661155493725	1,98,32,304	
4			1507661156164636	2,44,05,630	
			योग	8,75,86,407	

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही मार्ग के पश्चिम/पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 290A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343, 342, 346 में 12.69 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "सीतापाला, टाटीकला, कोसमदेही सड़क निर्माण कार्य" हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड क्रमांक 290A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343, 342, 346 के वन क्षेत्र में 12.69 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "सीतापाला, टाटीकला, कोसमदेही सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट

(सदस्य)

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट

(अध्यक्ष)

कलेक्टर
जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बालाघाट

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No. 2188.....

Dated... 8/6/2023.....

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 12.69 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat, (name of user agency) for Sitapala tatikala kosamdehi Road Construction Work (purpose for diversion of forest land) in Balaghat district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji Tah./Block Lanji, Village- Risewada in Compartment No. 290A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343, 342, 346 Total Area 12.69 Hec. in Forest land village(s) in Lanji tehsils.

It is further certified that:

- (t) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 12.69 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (u) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent. to it;
- (v) (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

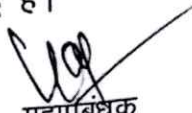
Encl: As above:

(Dr. Signature) (Dr. Kumar Mishra)
(full name and official seal of the District Collector)
BALAGHAT

8
9
10
11
1

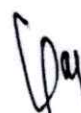
—: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही मार्ग के पश्चिम/पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 290A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343, 342, 346 में 12.69 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।


महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: न्यूनतम वृक्षों की क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही मार्ग के पश्चिम/पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 290A, 641, 634, 639, 636, 637, 621, 344, 345, 343, 342, 346 में 12.69 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में 513 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आवेदक विभाग न्यूनतम वृक्षों की कटाई के लिए वचनबद्ध है। सड़क निर्माण के दौरान प्रभावित वृक्षों के अतिरिक्त कोई भी वृक्ष नही काटे जावेंगे। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट



मध्य प्रदेश का प्युटरीमन, भू-अभिलेख

खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश यू-राजस्व संहिता (यू-सर्वेक्षण तथा यू-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11090887876

[illegible]

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.11 16:42:29 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khassra Copy
CLR No. : 11090887876

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/155479/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/155479/2022) Benegaon sitaper nandora Borban road construction under RCPLWEA scheme	ROAD15547920221501	14 Feb 2024	CA: 5839399/- Addl CA: 38435097/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 8956422/- Total : 53230918/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 04 Mar 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 05 Mar 2024 Transaction Date : 15 Mar 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/010320241441046449_FPMROAD1554792022_Us Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD155479



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |
Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- ☒ To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
☒ Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. ☒ Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
☒ Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. ☒ Paid : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Bhopal	Select State :	Madhya Pradesh
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All		
Enter value for Search :	156164		
SEARCH			

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/156164/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/156164/2022) Sitapala Tattikala to Kosamdehi Road construction undre RCPLWEA SCHEME	ROAD1561642022636	04 Sep 2024	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 15590807/- Road Side Plantation 8814823/- Total : 24405630/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 07 Apr 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Apr 2025 Transaction Date : 17 Apr 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/060420251312265604_FPMROAD1561642022_User_...) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1561642022)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

The national portal of India

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

my Gov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



Open Government Data (OGD) Platform India

MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फ़ैक्स : 0755-2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.07/430
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/01/2025

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में सीतापाला-टाटीकला से कोसमदेही मार्ग लम्बाई 13.80 कि.मी. रकबा 12.92 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने की वन्यजीव अनुमति।
संदर्भ :- परिवेश पोर्टल से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक WL/MP/ROAD/468597/2024

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में सीतापाला-टाटीकला से कोसमदेही मार्ग लम्बाई 13.80 कि.मी. रकबा 12.92 हैक्टेयर वनभूमि मार्ग निर्माण हेतु उपयोग करने की वन्यजीव अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ था।

उक्त प्रस्तावानुसार दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल के टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 291ए, 344, 345, 343ए, 343बी, 342, 346, 621, 634, 636, 637, 639 एवं 641 में लम्बाई 13.80 कि.मी. में से (वनक्षेत्र में 11.76 कि.मी.) में रकबा 12.92 हैक्टेयर वनभूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना में 513 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि दक्षिण बालाघाट वनमण्डल को उपलब्ध कराने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की कुल लागत रुपये 1406.61 लाख दर्शायी गई है।

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र. संबंधित वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी एवं आवेदक विभाग की मुख्यालय स्तर पर संयुक्त बैठक दिनांक 09.09.2024 को आयोजित की गई।, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित मार्ग का पुनः स्थल निरीक्षण कर क्षेत्र में पाये जाने वाले अधिकतम ऊंचाई के वन्यजीवों के अनुसार 11 अण्डरपास/बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग में पूर्व से निर्मित 03 पुलिया हैं। जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जावे।
2. मार्ग में जहां ह्यूम पाइप प्रस्तावित किये गये हैं वहां न्यूनतम 01 मीटर ऊंचाई के बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये जायेंगे।
3. शोल्डर पर स्थित पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों में से आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जावे।
4. वनक्षेत्र में निहित लम्बाई के लिए वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान प्रस्तुत किया जावे।
5. प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जस्टिफिकेशन एवं मिटिगेशन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावे।

संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार प्रस्तावित मार्ग सुदूर वनक्षेत्र में एकल मार्ग है। जिसमें 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण एवं 1.87 मीटर चौड़ाई में मार्ग के दोनों तरफ शोल्डर्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित वनक्षेत्र है, जहां बाघ, तेन्दुआ, भालू, जंगली सुअर, सियार, चीतल, सांभर, नीलगाय, बायसन, कोटरी, मोर, लंगूर सहित अन्य वन्यजीव पाये जाते हैं। प्रस्तावित मार्ग से सुदूर वनक्षेत्र में स्थित 03 ग्रामों की 612 जनसंख्या को आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मार्ग में दिन में 02 से 04 दोपहिया एवं 01 से 02 चार पहिया वाहनों का आवागमन होता है, जो अत्यंत ही कम है। इस मार्ग में विगत 05 वर्षों में वाहनों से वन्यजीवों की दुर्घटना के एक भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं। प्रस्तावित मार्ग भारत सरकार की RCPLWEA योजनान्तर्गत नक्सल समस्या के उन्मूलन हेतु प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण से पुलिस विभाग एवं वन विभाग की गश्ती, सुदूर वनक्षेत्र में निवासरत् ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा एवं उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाना है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यजीवों को दृष्टिगत रखते हुए न केवल कॉरीडोर क्षेत्र में बल्कि प्रभावित समस्त वनक्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार निम्नानुसार कुल 16 अधोसंरचनायें प्रस्तावित की गई हैं जिनमें 16 स्लेब पुलिया में 20 वृक्ष पातन हेतु प्रभावित हो रहे हैं। :-

क्र.	चैनेज (मीटर में)	अधोसंरचना	लम्बाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)
1	1300	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	12	4
2	1770	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	12	4
3	2100	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	12	4
4	2300	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
5	2700	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
6	3950	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
7	4450	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
8	5080	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
9	6300	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
10	7070	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
11	7620	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
12	8300	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
13	9540	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
14	10400	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
15	10600	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4
16	11300	अंडरपास/स्लेब क्लवर्ट	6	4

इसके अतिरिक्त मार्ग में 24 स्पीड ब्रेकर एवं 49 साइन बोर्ड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में स्थित कच्चा मार्ग समतल एवं वर्तमान स्थित धरातल से मार्ग 32 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होने से प्रस्तावित 16 एनीमल पैसेज/अधोसंरचनाओं के अतिरिक्त अन्य पैसेज की आवश्यकता संभव नहीं है, का लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव एवं पैसेज प्लान को दृष्टिगत रखते हुए वन्यजीव पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़ने की नगण्य संभावना के दृष्टिगत निम्न शर्तों के अधीन अनुशंसा की गई:-

1. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना लागत की 02 प्रतिशत की राशि म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु जमा करायी जावेगी।
 2. नियमानुसार एन.पी.व्ही. एवं अन्य शुल्क देय होगा।
 3. प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित स्थलों/चैनैज/कि.मी. पर ही अधोसंरचनाओं का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा किया जायेगा एवं मार्ग का रि-एलाइमेंट नहीं किया जायेगा।
 4. वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
 5. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नहीं किया जायेगा।
 6. निर्माण सामग्री वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।
 7. आवेदक संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
 8. आवेदक संस्था एवं संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारों द्वारा कार्य के संबंध में Compliance Report प्रस्तुत की जावेगी।
2. उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—
- "बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में सीतापाला-टाटीकला से कोसमदेही मार्ग लम्बाई 13.80 कि.मी. रकबा 12.92 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने संबंधी प्रस्ताव की मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत उक्त अधिरोपित शर्तों एवं प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित 16 स्लेब कल्वर्ट, 24 स्पीडब्रेकर एवं 49 साइन बोर्ड निर्माण किये जाने की शर्त पर अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव की राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आगामी कार्यवाही की जावे।"*
3. प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.2.6 में विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—
- Decision Taken:** After discussions, the Standing Committee decided to approve the proposal subject to the following conditions:
1. The required width shall be restricted to 7.5 m except at places where slab culverts where the width may be 9m.
 2. Camera traps shall be placed at every slab culvert and bridges to monitor the movement of animals and accordingly, adaptive management may be planned in the future.
 3. The construction debris shall be removed as soon as the works is done.
 4. No work shall be carried out in the area after sunset and before sunrise.
 5. No labour camp shall be set up in the forest area.
 6. No construction material shall be procured from the forest area.
 7. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government.
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया है :—
- "In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL the parties shall abide with all the conditions imposed therein."*
5. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में की गई अनुशंसाओं के अनुसार बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में सीतापाला-टाटीकला

से कोसमदेही मार्ग लम्बाई 13.80 कि.मी. रकबा 12.92 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव की निम्न शर्तों के अधीन सैद्धांतिक वन्यजीव अनुमति प्रदान की जाती है:- सशर्त

- 5.1. राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.2.6 पर लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जावे।
- 5.2. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु कॉरीडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।
- 5.3. कॉरीडोर/वन क्षेत्र में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नहीं किया जायेगा।
- 5.4. निर्माण सामग्री कॉरीडोर क्षेत्र/वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।
- 5.5. संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी-नालों से अवैध रेत उत्खनन/वृक्ष कटाई तथा वन संपदा/वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास को नुकसान पहुंचाना/आग जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।
- 5.6. निर्माण के दौरान श्रमिक कैम्प कॉरीडोर क्षेत्र/वनक्षेत्र की सीमा में न लगाया जाये।
- 5.7. श्रमिक कैम्प कॉरीडोर/वन क्षेत्र की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि.मी. की दूरी पर लगाया जाये तथा रात्रि के दौरान निर्माण क्षेत्र में वाहन एवं श्रमिकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- 5.8. मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार 513 वृक्षों को काटने के अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष को काटा/नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा। परियोजना हेतु कम से कम वृक्षों की कटाई की जावे।
- 5.9. मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए शमन उपायों के अंतर्गत 08 अधोसंरचनाओं प्रस्तावित की गई। उक्त 16 अधोसंरचनाओं (स्लेब पुलिया) में 20 वृक्षों पातन किया जावे एवं 24 स्पीड ब्रेकर एवं 49 साइन बोर्ड निर्माण किया जावे।
- 5.10. आवेदक संस्था यह सुनिश्चित करें कि वन्यजीव कॉरीडोर क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य की अवधि न्यूनतम रखी जाये क्योंकि लम्बे समय तक निर्माण कार्य जारी रहने से क्षेत्र में वन्यजीवों का रहवास/आबादी एवं आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
- 5.11. आवेदक संस्था को संबंधित वनक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना होगा तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित/वन क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
- 5.12. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रैक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 5.13. प्रकरण में यदि प्रस्तावित वनभूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत इसकी पृथक से अनुमति प्राप्त की जावे तथा उक्त अनुमति प्राप्त होने के पूर्व निर्माण कार्य न किया जावे।
- 5.14. निर्माण के दौरान कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या-क्या सावधानियाँ रखना है, इसके संबंध में जागरूक करा दिया जाये।
- 5.15. उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं आवेदक विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5.16. आवेदक संस्था एवं संरक्षित क्षेत्र/वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में वार्षिक पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत की जावेगी।

आवेदक संस्था द्वारा उक्त दर्शित शर्त क्रमांक-5.2 के अनुसार राशि जमा कराये जाने तथा अन्य शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत, प्रकरण में पृथक से अंतिम वन्यजीव अनुमति जारी की जा सकेगी। अंतिम अनुमति के पूर्व कार्य प्रारंभ न किया जावे। उक्त कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति की सूचना तथा उपरोक्त शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

(शुभरंजन सेन)

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

भोपाल, दिनांक 13/01/2025

पृ. क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.07/434
प्रतिलिपि:-

1. उप वन महानिरीक्षक, (वन्यप्राणी डिविजन), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छठवीं मंजिल, वायु विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट वृत्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों के क्रियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। प्रकरण में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि एवं नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक विभाग/संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।

APCCCLM

PCCF & HoFF
MP, BHOPAL
20 JAN 2025



प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल





आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, cfbghat@mp.gov.in दूरभाष : 07632-241201 फ़ैक्स : 07632-240268

—आदेश—

आदेश क्रमांक/व्यय.आ./107

बालाघाट, दिनांक 28/3/2025

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/1194/191/2022/9 नियम/चार दिनांक 14.07.2022 (बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स वाल्यूम-2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-ए.पी.आर.026/2023.बी.एचओ दिनांक 04.09.2024 प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत सीतापाला टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/156164/2022 में शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र०-A(8) के अनुपालन में रोड साईड प्लांटेशन योजना के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 13.800 कि.मी. असिंचित सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य की वर्ष 2025-26 से (ग्यारह वर्षीय) तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कार्य का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य नाम	स्थल	रकबा	प्राक्कलन कुल राशि
1	पश्चिम लांजी सामान्य	प्रधान मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत सड़क के किनारे वृक्षारोपण	लांजी से आमगांव रोड़ के दोनों ओर	13.800 कि.मी.	8814823/-

- कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे।
- स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट राशि का व्यय स्वीकृत नार्मस, जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भली-भांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।
- उपरोक्त कार्य CAF Rules 2018 के नियमों का पालन करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।
- कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- वृक्षारोपण पंजी, माप पुस्तिका (M.B.) आदि अभिलेख विधिवत संधारित किये जाये।
- कैम्पा विंग के समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक अ.क्र. इन्द्राज किया गया।

(ए.पी.एस.संगर)

मा.व.से.

मुख्य वनसंरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

बालाघाट, दिनांक 28/03/2025

पृष्ठा. क्रमांक/ 1614

प्रतिलिपि :- वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय.आ./459 दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल



प्रोजेक्ट रिपोर्ट

कार्य का नाम	— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग सितापाला/टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग की एवज में वृक्षारोपण कार्य
लम्बाई	— 13.800 कि.मी.
योजना अवधि	— वर्ष 2025-26 से 2035-36 (11 वर्षीय योजना)
लागत	— 8814823/- लाख रुपये

वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य
दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट (म0प्र0)

LANJI TO AMGAON ROADSIDE PLANTATION PROJECT

बालाघाटा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सा. दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के अंतर्गत सितापाला/टाटीकल से कोसमदेही धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण लंबाई 13.800 कि.मी. हेतु लांजी से आमगांव मार्ग (लोक निर्माण विभाग) 13.800 कि.मी. लम्बाई पर सड़क किनारे वृक्षारोपण योजना म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क. 1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र. के अधिकारियों से चर्चा उपरान्त तैयार की गई है । जिसमें व्यय का प्रावधान संबंधित अधिकारियों से चर्चा उपरान्त रखा गया है। वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

A. Project Details:-

1. Name of Department

मध्य प्रदेश वन विभाग भोपाल

2. Project Implementation Division of Government Department

दक्षिण सा. वनमंडल बालाघाट प्रदेश वन विभाग भोपाल

3. Objective of the project Zone

प्रस्तावित वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन ग्रीन कोरिडोर का निर्माण करना, जिसमें शोभादार, छायादार, फलदार, पौधों के साथ-साथ औषधीय पौधों को लगाकर, पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना एवं ग्रामिणों की आय के अवसर उपलब्ध कराना ।

4. Proposed Road

लोक निर्माण विभाग (PWD) लांजी से आमगांव मार्ग

5. Name of Agency

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट

6. Length of Road

13.800 कि.मी

7. Total Estimated Project Cost (Lakhs)

योजना की कुल लागत - 8814823 /-

औसत व्यय प्रति कि.मी. - 638755 /-

प्रति पौधा व्यय - 2555/-

8. Expected Employment to be Generated (Mandays)

17053 मानव दिवस

B. Site Specific Detail Project (DPR) the Schedule of activities
enclosed for reference in project preparation as annexure-1

प्रस्तावित वृक्षारोपण की 11 वर्षीय योजना रिपोर्ट संलग्न है।

9. Name Average width available for Avenue Plantation

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 3-3 मीटर का क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है। जिसमें एक पंक्ति में 4mt X 4mt के अंतराल में 13.800KM मार्ग पर 3450 पौधों का रोपण प्रस्तावित किया गया है।

10. Approximate Area for Median Plantation (Hectares)

5.520 Hectares

11. Type of Soil

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र की मृदा रेतीली दोमट एवं कुछ स्थल पर मुरुमी मिट्टी है।

12. Species Planned for Avenue plantation

गुलमोहर, कचनार, सामिया, पेल्टाफार्म, करंज, अमलतास

13. Total number of Plants in Project

प्रति कि.मी. 250 पौधे (दोनों ओर एक-एक पंक्तियों में) इस प्रकार 13.800 कि.मी. में कुल 3450 पौधे रोपित किये जावेंगे।

14. Sustainable Harvesting

प्रस्तावित योजना के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त वृक्षारोपण संबंधित संस्था को हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

15. Planting Materials

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष - अनुसंधान विस्तार एवं लोकवार्निकी, मध्य प्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 2857 भोपाल दिनांक 06.11.2018 के निर्देशानुसार मानकीकरण युक्त स्वस्थ पौधों का रोपण किया जावेगा।

16. Pesticide/Insecticide/Fungicide

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में गड़दों की खुदाई उपरान्त गड़दों में उपजाऊ मिट्टी एवं बी.एस. सी./क्लोरो पायरीफास का उपयोग किया जावेगा तथा निंदाई के साथ क्लोरो पायरीफास/ साइफर मेथिन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जावेगा।

17. Manure/compost/Fertilizer

प्रस्तावित योजना के वृक्षारोपण का कुछ क्षेत्र मुरमीला होने से गड्ढों में उपलब्ध मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण पौधों की त्वरित वृद्धि हेतु पृथक से गड्ढे के आयतन का 30 प्रतिशत उपजाऊ काली मिट्टी से तथा 15 प्रतिशत कम्पोस्ट खाद में अच्छी तरह से मिलाकर भराव करने एवं रासायनिक एवं जैविक खाद पौधा रोपण एवं निंदाई के साथ डालने का प्रावधान योजना में किया गया है।

18. Irrigation Methodology

सिंचाई का प्रावधान समय – समय पर किया गया है।

19. Plantation protection

प्रस्तावित वृक्षारोपण में पौधों की सुरक्षा एवं समुचित वृद्धि हेतु प्रतिपौधा (ईट, रेत, सीमेंट से बने) Treeguard लगाकर पौधों की सुरक्षा का प्रावधान योजना में किया गया है। तथा वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा श्रमिक का प्रावधान भी योजना में किया गया है। प्रति पौधा Treeguard हेतु गणना पत्रक संलग्न है।

20. Involvement of NGO/SHG/Gram Panchayat etc.

प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना विभागीय होने से क्षेत्र के समीपस्थ ग्रामों की वन सुरक्षा समिति को योजना से लाभान्वित करने के लिये समिति सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा।

21. Availability and source of Labour to be engaged

प्रस्तावित वृक्षारोपण मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण समीपस्थ ग्रामों के श्रमिक कार्य हेतु उपलब्ध हो सकेंगे।

C. Post Project Plan

22. Plan for fruit/flower/other forest products harvest from plantation

योजना में मार्ग की सुंदरता एवं हरियाली के लिये शोभादार, छायादार वृक्षों के साथ-साथ फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जावेगा। जो कि ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे।

23. Potential Beneficiaries-Community/SHG/forest products Enterprise

प्रस्तावित वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन ग्रीन कोरिडोर का निर्माण करना, जिसमें फलदार पौधों के साथ-साथ औषधीय पौधों को लगाकर भविष्य में ग्रामीणों को वृक्षों से आय के अवसर उपलब्ध करना।

30. Expected Income for local Community/VFCs/SHGs and NHAI

प्रस्तावित योजना में मार्ग किनारे पौधों का रोपण किया जावेगा, जिसमें फलदार एवं औषधीय पौधे सम्मिलित हैं, उनसे भविष्य में ग्रामीणों को वृक्षों से आय के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

D. Innovation or Salient feature of project proposal

31. Brief of innovation approach in planting, pitting, fancing, Irrigation, weeding, maintenance etc.

प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घ कालीन ग्रीन कोरिडोर के साथ-साथ मार्ग की सुंदरता बढ़ाना पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना तथा समीपस्थ ग्रामों के ग्रामीणों को योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है, जिसमें वृक्षारोपण की 11 वर्षीय योजना में ग्रामीणों को 11 वर्ष तक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा तथा भविष्य में फलदार एवं औषधीय वृक्षों से आय के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर समान अंतराल पर 0.45x0.45x0.45 मी. आकार के गड्ढे खोदकर उसमें उपजाऊ मिट्टी, वर्मीकम्पोस्ट, रसायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग कर वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना।

रोपण की सफलता एवं पौधों की सुरक्षा हेतु Treeguard का उपयोग कर पौधों की सुरक्षा की जावेगी। प्रति पौधा Treeguard हेतु गणना पत्रक संलग्न है।

पौधों की त्वरित वृद्धि हेतु रोपण क्षेत्र के समीपस्थ स्थित तालाब, कुओं से सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई करना।

पौधों के वृद्धि हेतु अनुपयोगी घास एवं खरपतवार को अलग कर चारों ओर 01 मीटर व्यास में निंदाई एवं गुड़ाई करना तथा 01 मीटर चौड़ी पट्टी में घास की सफाई एवं छिलाई कर गर्मी में पौधों की आग से सुरक्षा करना।

पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख हेतु एक सुरक्षा श्रमिक का प्रावधान किया गया है, श्रमायुक्त की मजदूरी दर में वृद्धि होन पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदूर दर में वृद्धि के साथ योजना तैयार कि गई है। आवश्यकतानुसार खाद, कीटनाशक का उपयोग एवं सतत निगरानी, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन के साथ योजना अवधि के बाद वृक्षारोपण को उत्तम गुणवत्ता के साथ अच्छी स्थिति में संबंधित संस्था को हस्तांतरित करना।

-----XXX-----

भाग - 2
(प्रमाण पत्र)

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग सितापाला/टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण लंबाई 13.800 कि.मी. प्रभावित रकबा 12.920 हेक्टेयर हेतु वनभूमि व्यवर्तन में परिवेश पोर्टल से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक- (WL/MP/ROAD/468597/2024) में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक म.प्र. के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ-1/27.07/430 भोपाल दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in CAMPA fund by the user Agency.) के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (PWD) की लांजी से आमगांव रोड़ के दोनो ओर 13.800 कि.मी. में रोड़ साईड प्लांटेशन स्कीम।
दोनों ओर रोड़ साईड प्लांटेशन स्कीम मेरे द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया है, एवं निरीक्षण के समय प्रस्तावित प्रस्ताव में उल्लेखित उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्य/वृक्षारोपण के योग्य है, तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, तकनीकी स्वीकृति योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक - 22.03.25

निरीक्षण दिनांक - 15/3/25

उपवनमंडलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमंडल

प्रधान परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम पंचायत (सा.) परिक्षेत्र

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल बालाघाट

अनुमोदित
तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/..... दिनांक द्वारा जारी की गई है।

वनसंरक्षक
बालाघाट वनवृत्त (म0प्र0)

रोड साईड प्लांटेशन स्कीम

Patch no.	Pillar no.	Length on LHS	Length on RHS	Total length in meters
1	0-1	370	370	740
2	1-2	294	332	626
3	2-3	539	506	1045
4	3-4	316	316	632
5	4-5	705	520	1225
6	5-6	776	805	1581
7	6-7	274	247	521
8	7-8	543	545	1088
9	8-9	312	312	624
10	9-10	550	550	1100
11	10-11	176	176	352
12	11-12	587	587	1174
13	12-13	188	188	376
14	13-14	556	513	1069
15	14-15	841	806	1647
Total length		7027	6773	13800

Peha

कानून विभाग के अधिकारी
परिवहन विभाग (एम) जी खा

जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग सा/टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण लंबाई 13.800 कि.मी. प्रभावित रकबा 12.920 हेक्टेयर हेतु वनभूमि व्यपवर्तन में पोर्टल से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक- (WL/MP/ROAD/468597/2024) में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य जीव अभिरक्षक म.प्र. के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ-1/27.07/430 भोपाल दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक कृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in AMPA fund by the user Agency.) के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (PWD) की लांजी आमगांव रोड के दोनो ओर 13.800 कि.मी. में रोड साईड प्लांटेशन स्कीम।

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम - लांजी से आमगांव रोड (लोक निर्माण विभाग)

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई - 13.800 कि.मी.

असिंचित

क्षेत्र तैयारी वर्ष 2025-26
(योजना का प्रथम वर्ष 2025-26)

मजदूरी दर- 456/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	5.520	हेक्टेयर	0.45	प्रति हे0	2.484	1133
2	क्षेत्र सफाई (हे0)	5.520	हेक्टेयर	4.00	प्रति हे0	22	10068
3	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	3450	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	8.625	3933
4	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई						
	45x45x45 cm.	3450	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	173	78660
5	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	94.26	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	141	64474
7	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं अर्गैनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	3450	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	52	23598
8	अन्य व्यय (चुना, पेंट, बोर्ड, जैविक खाद, फिक्स्ड कैमरा ट्रेप बैटरी एवं मेमोरी सहित कय इत्यादि)	LS				490	223440
		योग:-				889	405306

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.) सा

योजना का द्वितीय वर्ष 2026-27
(वृक्षारोपण वर्ष 2026-27)

मजदूरी दर-492/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	3450	पौधे	0.0354	पौधा	122	60088
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	690	पौधे	0.0354	पौधा	24	12018
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4140	पौधे	1.50	सैकड़ा	62	30553
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4140	पौधे	0.40	सैकड़ा	17	8148
3	रोपण						
	45x45x45 cm.	3450	गड्डे	1.80	सैकड़ा	62	30553
4	पौधों की सुरक्षा हेतु रोपित पौधों के चारों ओर से ईट, रेत, सीमेंट से बने ट्रिगार्ड (उचाई 3 फीट) से सुरक्षित करना	3450	LS			11058	5440650
5	पौधों में प्रथम निंदाई	3450	पौधे	1.25	सैकड़ा	43	21218
6	पौधों में द्वितीय निंदाई	3450	पौधे	1.00	सैकड़ा	35	16974
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	3450		0.60	सैकड़ा	21	10184
8	सुरक्षा 1 श्रमिक 09 माह	1	1x09			234	115128
9	सिंचाई कार्य:- रोपण पश्चात पौधों में ग्रीष्मकालीन सिंचाई 15 फरवरी से 31 मई तक आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह 02 सिंचाई कुल सिंचाई 30 प्रति पौधा कुल सिंचाई 3450X30 = 103500 की सिंचाई 1 कि०मी० तक सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई कार्य करना।	103500	पौधे	1.25	सैकड़ा	1294	636525
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय, वर्मी कम्पोस्ट क्रय आदि)				LS.	50	24600
					योग:-	13022	6406638

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

Reha
उपवनमण्डल अधिकारी
पश्चिममंजरी संघी रा

योजना का तृतीय वर्ष 2027-28

मजदूरी दर-532/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	345	पौधे	0.03540	पौधा	12	6497
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	345	पौधे	1.5	सैकड़ा	5	2753
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	345	पौधे	0.4	सैकड़ा	1	734
3	पौधों में प्रथम निंदाई	3450	पौधे	1.25	सैकड़ा	43	22943
4	पौधों में द्वितीय निंदाई	3450	पौधे	1	सैकड़ा	35	18354
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	3450	पौधे	0.6	सैकड़ा	21	11012
6	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	165984
9	सिंचाई कार्य- रोपण पर्याप्त पौधों में ग्रीष्मकालीन सिंचाई 15 फरवरी से 31 मई तक आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह 01 सिंचाई कुल सिंचाई 15 प्रति पौधा कुल सिंचाई 3450x15 = 51750 की सिंचाई 1 कि.मी. तक सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई कार्य करना।	51750	पौधे	1.25	सैकड़ा	647	344138
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय एवं ट्री गार्ड मरम्मत आदि)				Ls.	100	53200
					योग:-	1176	625615

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

पेना
वन परिक्षेत्र अधिकारी/अधिकारी
परिक्षेत्र (सा.) लांजी राणा

योजना का चतुर्थ वर्ष 2028-29

मजदूरी दर-574/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	पौधा कय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	345	पौधा	0.0354	पौधा	12	7010
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	345	पौधा	1.50	सैकड़ा	5	2970
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	345	पौधा	0.40	सैकड़ा	1	792
	पौधों में प्रथम निंदाई	3450	पौधा	1.25	सैकड़ा	43	24754
	पौधों में द्वितीय निंदाई	3450	पौधा	1	सैकड़ा	35	19803
5	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	179088
6	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय एवं ट्री गार्ड मरम्मत आदि)				LS	80	45920
योग:-						488	280338

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

उपवनमण्डल अधिकारी
पटिखिन्नाणी (सा.) लांजी सा.

योजना का पंचम वर्ष 2029-30

मजदूरी दर-620/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	193440
2	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय एवं ट्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)			LS		30	18600
				योग:-		342	212040

असिंचित

योजना का षष्ठम वर्ष 2030-31

मजदूरी दर- 670/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	209040
2	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय एवं ट्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)			LS		30	20100
				योग:-		342	229140

असिंचित

योजना का सप्तम वर्ष 2031-32

मजदूरी दर-724/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	112944
2	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)			LS		30	21720
				योग:-		186	134664

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

Poha
वनसंरक्षण निदेशिका अधिकारी
परिचर्या विभाग (लांजी सा)

योजना का अष्ठम वर्ष 2032-33

असिंचित

मजदूरी दर-781/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	121836
1	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)			LS		30	23430
	योग:-					186	145266

योजना का नवम वर्ष 2033-34

असिंचित

मजदूरी दर-844/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	131664
1	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)			LS		30	25320
	योग:-					186	156984

योजना का दशम वर्ष 2034-35

असिंचित

मजदूरी दर-912/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	142272
2	अन्य व्यय (एवं ट्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)			LS		30	27360
	योग:-					186	169632

योजना का ग्यारवा वर्ष 2035-36

असिंचित

मजदूरी दर-984/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
2	अन्य व्यय (सुरक्षा एवं ट्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)			LS		50	49200
	योग:-					50	49200

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

Peha
वर्षा परिसंरक्षण अधिकारी
परिसंरक्षण लांजी सा

रोड साईड प्लांटेशन स्कीम (स्कबा 13.800 कि.मी.) - वन परिक्षेत्र पश्चिम सा. परिक्षेत्र

Item of work	Rate in Rs.	Yearwise physical and financial target/ outlay Breakup																								Total Fin.
		2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		2031-32		2032-33		2033-34		2034-35		2035-36				
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.			
a) Advance work	456	0.39	405306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405306		
b) Creation-II Year	492	0	0	0.39	6406638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6406638		
c) Maintenance-III Year	532	0	0	0	0	0.39	625615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625615		
IV Year	574	0	0	0	0	0	0	0.39	280338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280338		
V Year	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	212040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212040		
VI Year	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	229140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229140		
VII Year	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	134664	0	0	0	0	0	0	0	0	134664		
VIII Year	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	145266	0	0	0	0	0	0	145266		
IX Year	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	156984	0	0	0	0	0	156984		
X Year	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	169632	0	0	0	0	169632		
XI Year	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	49200	0	0	0	49200		
Total-		0.39	405306.02	0.39	6406638	0.39	625615	0.39	280338	0.39	212040	0.39	229140	0.39	134664	0.39	145266	0.39	156984	0.39	169632	0.39	49200	8814823		

ADD (+)	0.39	145266	0.39	156984	0.39	169632	0.39	49200	8814823
1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत	0								
2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत	0								
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4%	0								
कुल योग :-	8814823								
4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत	0								
महायोग :-	8814823								

ADD (+)

1. आस्थाभूतक कार्य की राशि 5% प्रतिशत	0
2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत	0
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4%	0
4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत	0
कुल योग :-	8814823
महायोग :-	8814823

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लांली (सा.) उपवनमण्डल

वन सांख्यिकीय अधिकारी
पश्चिम (सा.) परिक्षेत्र

में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग टाटीकल से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण लंबाई 13.800 कि.मी. प्रभावित रकबा 12.920 हेक्टेयर हेतु वनभूमि व्यपवर्तन में परिवेश प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक- (WL/MP/ROAD/468597/2024) में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्य जीव म.प्र. के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ-1/27.07/430 भोपाल दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in CAMPA fund by the Agency.) के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (PWD) की लांजी से आमगांव रोड़ के दोनो 13.800 कि.मी. में रोड़ साईड प्लांटेशन स्कीम।

गोशवारा, आदर्श रोपण

वर्ष	कुल मानव दिवस	दर	राशि
प्रथम (2025-26)	889	456	405306
द्वितीय (2026-27)	13022	492	6406638
तृतीय (2027-28)	1176	532	625615
चतुर्थ (2028-29)	488	574	280338
पंचम (2029-30)	342	620	212040
षष्ठम (2030-31)	342	670	229140
सप्तम (2031-32)	186	724	134664
अष्टम (2032-33)	186	781	145266
नवम (2033-34)	186	844	156984
दशम (2034-35)	186	912	169632
ग्यारवां (2035-36)	50	984	49200
कुल योग -	17053		8814823

ADD (+)	1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत	0
	2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत	0
	3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4% प्रतिशत	0
	कुल योग -	8814823
	4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत	0
	महायोग -	8814823

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.)

Chief Conservator of Forest
Balaghat Circle (M.P.)



कार्यवाही प्रोसीडर चार्ट

माह जनवरी सन 2025

ज.पं. लोडी तह जेडी

जिला काराखाना

तारीख	उपस्थित पंक्तों के नाम एवं पर	चैठक में किया गया कार्य				संदर्भ एवं पंक्तों के हस्ता. / अनुज्ञा नितान
		विषय	सांक्षिप्त में की गई कार्यवाही	पास किये हुए प्रस्ताव		
23.1.2025	2	3	4	5	6	
प्रारंभिक कार्य निष्पत्ति पर						
अ-1	एक कक्षा पर	नियमावली	प्रारंभिक कार्य	प्रारंभिक कार्य	प्रारंभिक कार्य	प्रारंभिक कार्य
अ-2	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-3	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-4	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-5	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-6	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-7	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-8	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-9	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-10	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-11	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-12	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-13	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-14	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-15	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी
अ-16	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी	विद्यार्थी

जन प्रमुख आधिकारिक

1. पक्ष ए-पक्ष ए (सी) द्वारा - विद्यमान नगरपालिका (अ. २०००)
३५००००० - ००००००००

 अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष	अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष	अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष	अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष
---	---	---	---

३४४६५
 ३४४६५
 ३४४६५
 ३४४६५



प्रारूप - 3
(संलग्न नियम - 14)

एकता ऑफ़ोसेट प्रिन्टिंग
7909923290

ग्रामसभा के कार्यवृत्त

1. ग्राम पंचायत का नाम.....
2. ग्रामसभा का नाम.....
3. सम्मिलन की तारीख.....
4. सम्मिलन का स्थान.....

अनुक्रमांक	विवरण	सम्मिलन के कार्यवृत्त
------------	-------	-----------------------

प्रस्ताव 00 05

प्रस्ताव 00 5

ग्राम पंचायत द्वारा अर्बन
आवक की वसूली कर 1000
रुपये के विषये अधिसूचना
निकाश का

अपरिचित लाभ सभा में सदस्यों के द्वारा
सह प्रस्ताव विषय अर्बन है कि ग्राम पंचायत
द्वारा वसूली की जाये। यह प्रस्ताव
विचार के अधीन है। निम्नलिखित विचारों का
की इसी में अधिसूचना निकाली जाये।
प्रस्ताव पारित किया जाये।

हस्ताक्षर के अक्षर स्वच्छ लिखिए।

नाम

संस्था

ग्राम पंचायत, कुलपा

ग्राम पंचायत, कुलपा

नमस्ते
नमस्ते

कायालय

पंचायत

कुलपा

वि. ख. मौजी

तह. मौजी

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

दिनांक 29/01/2025

प्रमाण वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र पश्चिम मौजी।
विषय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विनारे वृक्षारोपण कार्य की अनुमति
मिलने सम्बंध में।

संदर्भ -

विद्योक्त विषय का अग्रगत करारा जाता

- हैं कि ग्राम पंचायत कुलपा महराष्ट्र सिंग वें साकराटोला
पड़ुप मर्ग वें कारेका सिंग लठ P.W.D सड़क विनारे
वन विभाग का वृक्षारोपण कार्य किया जाता है तो ग्राम
पंचायत कुलपा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

आपले संपन्न प्रमुख।

सचिव

Peha
वन परिक्षेत्र अधिकारी पंचायत, लांजी
पश्चिम लांजी हा

सचिव

ग्राम पंचायत, कुलपा
अनूप पंचायत, लांजी

DETAIL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF TREE GARD
PWD. S.O.R. 2023

ITEM	ITEM OF WORK	MEAGARMENT	QTY.	UNIT	RATE	AMMUNT
2.6.1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5m disposed earth to be levelled and neatly dressed.	4.00nosX1.50X0.30X	0.54			
	Total Qty.		0.54	cu.m.	129.00	69.66
6.3.1	Brick work with well burnt open bhatta bricks crushing strength not less then 25kg/sqm. And watter absorption not more then 20% in foundation and plinth	4.0nosX0.80X0.70	2.88			
	Total Qty.		2.24	SQM	673.00	1507.52
	Total Amt.					1577.18



Untitled Map

Write a description for your map

21°29'18.72"N, 80°31'2.80"E

Google Earth

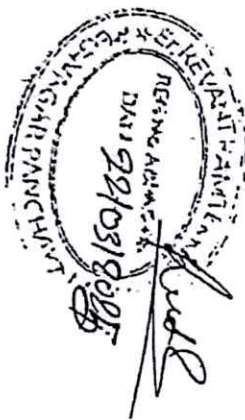
6 km



- Legend**
- GPS
 - KM
 - ROAD
 - SELECTED PATH

नमः परिक्षेत्र अधिकारी
राज्यम लाजी सा

गोरेक्षेत्र सहायक
वहेला



TREE GARD

